इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 444]　　　　भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 सितम्बर 2013—भाद्र 29, शक 1935

श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2013

क्र. आर.एफ. 14-5-2013-ए-सोलह.—भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित कार्यों को भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों के रूप में सम्मिलित करती है, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य (2)
39	सीमेन्ट पोल का संनिर्माण
40	खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के अधीन आने वाले रेत एवं मिट्टी के खनन तथा परिवहन से भिन्न कार्य.
41	कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अधीन सम्मिलित ईंट भट्टा, खपरा (रूफ टाइल्स), फ्लाय एश तथा टाइल्स से भिन्न कार्य.
42	किसी भवन तथा अन्य संनिर्माण कार्य में लगा हुआ कोई धातु शिल्पी कार्य
43	किसी भवन तथा अन्य संनिर्माण कार्य जैसे छतों की थेचिंग तथा बांस (बम्बू) टाइल्स आदि तैयार करने के रोजगार में लगा हुआ कोई बांस शिल्पी.

क्र. आर.एफ. 14-5-2013-ए-सोलह.—भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 62 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 की अनुसूची 13 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) अनुसूची तेरह में शीर्षक 1 "पेंशन" में मद 1.2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों में, निम्नलिखित मद और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुसूची 13
प्रसुविधाएं

[नियम 278 (2) देखिए]

प्रसुविधा का नाम	प्रसुविधा की प्रकृति	वह व्यक्ति, जिसे प्रसुविधा देय होगी	नियम 277 में विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त पात्रता की शर्तें यदि कोई हों.	उस दर के संबंध में मागदर्शी सिद्धान्त जिस पर कि प्रसुविधा दी जा सकेगी	प्रसुविधा दिए जाने की अन्य शर्तें, यदि कोई हों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पेंशन 1.2 परिवार पेंशन.	तदैव	तदैव	तदैव	परिवार पेंशन की दर सामान्यतया उस रकम के समतुल्य होगी, जिसका संदाय वृद्धावस्था पेंशन के रूप में किया जा रहा था.	तदैव

(2) शीर्षक "2 गृह निर्माण के लिए सहायता" में मद 2.2 के पश्चात् निम्नलिखित मद एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएं, अर्थात् : —

"2.3. आवास क्रय करने हेतु अनुदान.	किसी शासकीय अथवा स्थानीय निकाय द्वारा पंजीकृत भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिकों हेतु संचालित किसी आवासीय योजना में आवास क्रय करने हेतु अनुदान.	छः वर्ष तक निरंतर पंजीकृत आवासहीन भूखंडहीन हिताधिकारी को.		अनुदान की अधिकतम राशि 70 हजार रुपये से अधिक नहीं होगी.	आवासीय लागत की इकाई सामान्यतः 3 लाख रुपये तक होगी. हितग्राही अंशदान 30 हजार रुपये तक एवं शेष राशि बैंक ऋण द्वारा प्राप्त करनी होगी.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"10. कर्मकारों हेतु कौशल प्रशिक्षण.	किसी पंजीकृत हिताधिकारी एवं उसके आश्रित परिवार के सदस्यों को कौशल प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन हेतु कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण प्रदाय करने के लिए.	न्यूनतम छः माह से पंजीकृत हिताधिकारी को.	पंजीकृत हिताधिकारी के परिवार के आश्रित सदस्य को.	निःशुल्क प्रशिक्षण	–
11. प्रतियोगी परीक्षा एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु सहायता.	किसी पंजीकृत हिताधिकारी की आश्रित संतान को प्रतियोगी परीक्षा एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु एवं अनुदान एवं सहायता.	पंजीकृत हिताधिकारी के आश्रित संतान को.		पंजीकृत निर्माण श्रमिक की आश्रित संतानों के राज्य संघ लोकसेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षाओं में भाग लेने पर विभिन्न स्तर पर चयन होने पर सहायता एवं मेडीकल कालेज में चयनित होने पर तथा इंजीनियरिंग कालेज में प्रथम वर्ष/द्वितीय सेमेस्टर में उत्तीर्ण होने पर एक बार सहायता.	
12. पीठा श्रमिक आश्रय.	पीठा कर्मकारों के लिये आश्रय हेतु शेड.	पीठा श्रमिकों को.	–	–	–."

शेष सारणी यथावत रहेगी.

क्र. आर.एफ. 14-5-2013-ए-सोलह.—भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 62 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 277 में, विद्यमान सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी स्थापित की जाए, अर्थात् :—

सारणी

		प्रसुविधा (1)	न्यूनतम वर्षों की संख्या, जिसके लिए किसी हिताधिकारी द्वारा निधि में अंशदान किया हुआ होना चाहिए (2)
1		पेंशन	
	1.1	वृद्धावस्था पेंशन	छह वर्ष

		(1)	(2)
	1.2	परिवार पेंशन	छह वर्ष
	1.3	नि:शक्तता सहायता तथा पेंशन	छह वर्ष
2		गृह निर्माण सहायता	
	2.1	मकान के क्रय या निर्माण के लिए ऋण	छह वर्ष
	2.2	किसी गृह निर्माण वित्तीय संस्था से लिये गए गृह निर्माण ऋण हेतु ब्याज सब्सिडी.	छह वर्ष
	2.3	किसी शासकीय अथवा स्थानीय निकाय द्वारा पंजीकृत भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिकों हेतु संचालित किसी आवासीय योजना में आवास क्रय करने हेतु सब्सिडी.	छह वर्ष
3		शिक्षा सहायता	
	3.1	छात्रवृत्ति (या सब्सिडी)	पंजीयन दिनांक से
	3.2	शिक्षा ऋण	1 वर्ष
	3.3	किसी वित्तीय संस्था से लिये गए शिक्षा ऋण हेतु ब्याज सब्सिडी.	1 वर्ष
	3.4	मेधावी छात्रों को नगद पुरस्कार	1 वर्ष
4		आय संवर्धन के लिये सहायता	
	4.1	औजारों तथा छोटी मशीनों के क्रय हेतु ऋण	तीन वर्ष
	4.2	अनुपूरक आय अर्जित करने वाले क्रियाकलापों के लिए ब्याज सब्सिडी.	तीन वर्ष
5		विवाह सहायता	पंजीयन दिनांक से
6		चिकित्सा सहायता	पंजीयन दिनांक से
7		प्रसूति सहायता	पंजीयन दिनांक से
8		बीमा सहायता	1 वर्ष
	8.1	समूह बीमा	1 वर्ष
	8.2	बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए सहायता	1 वर्ष
9		मृत्यु के मामले में सहायता	
	9.1	अंतिम संस्कार सहायता	पंजीयन दिनांक से
	9.2	अनुग्रह राशि भुगतान	पंजीयन दिनांक से
10		श्रमिक कौशल प्रशिक्षण	छह माह
11		प्रतियोगी परीक्षा एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम सहायता	1 वर्ष
12		पीठा श्रमिक शेड/आश्रय	पंजीयन दिनांक से

No. R.F14-5-2013-A-XVI.— In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 2 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (Act 27 of 1996), the State Government, hereby, includes the following works specified in column (2) of the Table given below as building and other construction works, namely:-

TABLE

Sr. Number (1)	**Building and Other Construction Work** (2)
39	Construction of cement poles.
40	Mining and transportation of sand and soil other than covered under the Mines Act,1952 (Act 35 of 1952).
41	Workers engaged in Brick kilns making of Khapra (roof tiles) Fly Ash and Tiles, other than covered under The Factories Act, 1948(Act 63 of 1948).
42	Any metallurgic artisan engaged in any building and other construction work.
43	Any bamboo artisan engaged in the employment in building and other construction work, such as thatching of roofs and preparation of bamboo tiles etc.

No-R.F14-5-2013-A-XVI/.—In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 62 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (Act 27 of 1996), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Schedule 13 of the Madhya Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2002, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,-

(1) In Schedule XIII, in the heading 1. "Pension" in item 1.2 and entries relating thereto, the following item and entries relating thereof shall be substituted, namely :—

SCHEDULE 13
FACILITIES

[see Rule 278(2)]

Name of Benefit (1)	Nature of Benefit (2)	Person to whom benefit shall be payable (3)	Cnditions of eligibility, if any besides that specified in Rule 277 (4)	Guidelines regarding rate at which benefit may be paid (5)	Other conditions for grant of benefit, if any (6)
1.2 Family Pension	-do-	-do-	-do-	Rate of family pension shall normally be equivalent of the amount which was being paid as Old Age Pension	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(2) In the heading "2. Assistance for Housing" after item 2.2, the following item and entries relating there to shall be inserted, namely :—

"2.3 subsidy for purchase of house	Subsidy for purchase of house in an housing scheme run by Government or Local Body for registered Building or Other Construction Workers.	Beneficiary shall be registered since 6 continuous years and shall not own house or a piece of land	_	Amount of subsidy shall not exceed 70000/-	The cost of housing unit shall ordinarily be up to Rs.3,00,000/- Contribution of beneficiary shall be up to Rs.30,000/- and the balance amount shall be taken by the beneficiary as bank loan.

(3) After heading 9, the following headings shall be inserted, namely:-

"10. Skill Training for Workers.	For imparting skill training and skill enhancement training to a registered beneficiary and dependents family members.	Beneficiary shall be registered for not less than six months	To dependent family members of registered beneficiary	Free of cost training	_
11.Assistance for Competitive Examinations and Vocational Courses.	For providing assistance to dependent children of registered beneficiary for competitive examinations and vocational courses	_	_	One time assistance to the dependent children of registered worker for being selected at different level in Civil Service Examination of Union or Madhya Pradesh Public Service Commission and for being selected in Medical college/ passed in Second Semester/first Year of Engineering college.	_
12. Peetha workers Shades.	Shades for peetha workers.	Peetha workers	_	_	.".

No. R.F 14-5-2013-A-XVI.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 62 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and conditions of Service) Act, 1996 (No. 27 of 1996), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2002, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,—

In rule 277, for the existing table, the following table shall be substituted, namely :—

TABLE

		Facility (1)	Minimum number of years which a beneficiary should have contributed to the fund (2)
1.		**Pension**	
	1.1	Old Age Pension	Six Years
	1.2	Family Pension	Six Years
	1.3	Disability Assistance and Pension	Six Years
2.		**Assistance for Housing**	
	2.1	Loan for Purchase or construction of House	Six Years
	2.2	Interest Subsidy for Housing Loan, taken from a housing finance institution.	Six Years
	2.3	Subsidy for purchase of house in an housing scheme run by Government or Local Body for registered Building or Other Construction Workers.	Six Years
3.		**Education Assistance**	
	3.1	Scholarship	From the date of registration
	3.2	Education Loan	One Year
	3.3	Interest Subsidy for Education Loan taken from a financial institution.	One Year
	3.4	Cash award to meritorious students.	One Year
4.		**Assistance for Income Augmentation**	
	4.1	Loan for purchase of Tools and Small Machines	Three years
	4.2	Interest Subsidy for Supplementary Income generating activities.	Three years
5.		**Marriage Assistance**	From the date of registration
6.		**Medical Assistance**	From the date of registration
7.		**Maternity Assistance**	From the date of registration
8.		**Insurance Assistance**	
	8.1	Group Insurance	One Year
	8.2	Assistance for payment of Insurance Premium.	One Year
9.		**Assistance in Case of Death**	
	9.1	Funeral Assistance	From the date of registration
	9.2	Ex-gratia Payment	From the date of registration
10.		**Skill training for workers**	Six months
11.		**Assistance for competitive examinations and vocational courses**	One Year
12.		**Peetha workers shades/Shelters**	From the date of registration

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. बी. प्रजापति, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.